

दलित आंदोलन का इतिहास (राजस्थान के संदर्भ में)

सुभाष चन्द्र

(रिर्स स्कूलर)

महर्षि दयानन्द सरस्वती वि. वि.,

अजमेर (राजस्थान)

सारांश

महात्मा फूले ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "गुलामगिरी" में दलितों की पीड़ा का उल्लेख किया है। भारत के दलितों द्वारा आंदोलन के सबसे बड़े महानायक डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर हैं। उन्नीसवीं सदी के भारत में राष्ट्रीय चेतना और पश्चिमी उदारवादी विचारों के परिणामस्वरूप आंदोलन प्रारम्भ हुए। इन आंदोलनों ने धीरे-धीरे सामाजिक विषमता और धर्म सुधार का मार्ग प्रशस्त किया। राजस्थान की सामाजिक व्यवस्था भी भारतीय सामाजिक व्यवस्था की भाँति जातिप्रथा, अस्पृश्यता, दलित शोषण एवं अत्याचार पर आधारित थी। राज्य की समस्त भूमि पर सामन्तों का स्वामित्व माना जाता था। ये दलित वर्ग के हितों पर कोई ध्यान नहीं देते थे। शासक एवं सामन्तों तक जिन लोगों की पहुँच थी, उनके द्वारा दलित वर्ग का शोषण किया जाता था। आज भी राजस्थान के विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में इन्हें अस्पृश्यता एवं शोषण का शिकार होना पड़ता है।

मुख्य शब्द - दलित, अस्पृश्यता, जातिप्रथा, शोषण, अत्याचार आदि।

आधुनिक भारत में दलित आंदोलन का प्रारम्भ ज्योतिबा फूले से हुआ है। महाराष्ट्र में जातिवादी भेदभाव के विरोध में इस आंदोलन की शुरुआत "सत्यशोधक समाज" के जरिए सन् १८७७ में हुई थी। उन्होंने दलित वर्ग की दासता की जंजीर तोड़ने का कार्य किया। फूले ने ब्राह्मण, शास्त्रों, पुरोहितवाद तथा जातिप्रथा पर कठोर प्रहार किया है। महात्मा फूले ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "गुलामगिरी" में दलितों की पीड़ा का उल्लेख किया है। भारत के दलितों द्वारा आंदोलन के सबसे बड़े महानायक डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर हैं। डॉ. अम्बेडकर भारत के संविधान निर्माता हैं, इसलिए इन्होंने देश में शोषितों, दलितों, कमजोरों, वंचित के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। डॉ. अम्बेडकर ने महाड़ सत्याग्रह, नासिक का कालाराम मंदिर आंदोलन और दलित बोध आंदोलन आदि चलाये। उन्नीसवीं सदी के भारत में राष्ट्रीय चेतना और पश्चिमी उदारवादी विचारों के परिणामस्वरूप आंदोलन प्रारम्भ हुए। इन आंदोलनों ने धीरे-धीरे सामाजिक विषमता और धर्म सुधार का मार्ग प्रशस्त किया। छत्रपति शाहू जी महाराज ने अपनी कोल्हापुर रियासत में दलितों को शिक्षित करने के लिए स्कूल और हॉस्टल बनाये। वहीं दक्षिण भारत में चुनौती दी तथा दलित वर्ग जाग्रत और संगठित करने के लिए "स्वाभिमान आंदोलन" चलाया।

राजस्थान की सामाजिक व्यवस्था भी भारतीय सामाजिक व्यवस्था की भाँति जातिप्रथा, अस्पृश्यता, दलित शोषण एवं अत्याचार पर आधारित थी। राज्य की समस्त भूमि पर सामन्तों का स्वामित्व माना जाता था। ये दलित वर्ग के हितों पर कोई ध्यान नहीं देते थे। शासक एवं सामन्तों तक जिन लोगों की पहुँच थी, उनके द्वारा दलित वर्ग का शोषण किया जाता था। इस शोषण को स्थायित्व प्रदान

करने के लिए सामर्थ्यवान उत्तम वर्ग ने हर संभव प्रयास किये तथा उन पर ऐसी निर्योग्यताएँ लाद दी, जिन्हें देखकर मानवता शर्मसार होती है।

दलित वर्ग स्त्रियों की भाँति कपड़े नहीं पहन सकते थे। इनके लिए सार्वजनिक मंदिर में प्रवेश वर्जित था। ये सार्वजनिक कुओं पर पानी नहीं भर सकते थे, सोने-चाँदी के जेवर नहीं पहन सकते थे, दलित दूल्हे को घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाता था, जूते पहनकर गाँव में निकलने एवं सार्वजनिक स्थानों पर थूकने तक की इनके लिए मनाही थी। इनसे बेगार करवाई जाती थी। बेगार प्रथा में महिलाओं को भी नहीं बख्शा जाता था और इनके द्वारा संतुष्टिपूर्वक कार्य न करने पर सरेआम पीटा व प्रताड़ित किया जाता था।

राजस्थान में दलितों के निवास प्रायः गाँव के बाहर होते थे। अस्पृश्यता की भावना इतनी अधिक थी कि किसी स्त्रिय व्यक्ति पर दलित की परछाई पड़ जाने मात्र से अपवित्र समझा जाता था और भी आज भी राजस्थान के विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में इन्हें अस्पृश्यता एवं शोषण का शिकार होना पड़ता है। इस प्रकार के शोषण से दलित वर्ग की स्थिति काफी दयनीय हो गई।

इस प्रकार वर्ण व्यवस्था में दलितों का शोषण किया गया। इन्हें शिक्षा, सम्पत्ति एवं धर्म संबंधित अधिकारों से वंचित रखा गया। जिसके कारण दलितों में सामाजिक असंतोष व्याप्त हो गया। वे ऐसी सामाजिक व्यवस्था से बाहर निकलना चाहते थे। भक्ति आंदोलन के समय सामंतों ने जाति-पाँति की भावना का विरोध करते हुए सभी मनुष्यों की समानता पर जोर दिया, जिससे दलित वर्ग को अपनी स्थिति का अहसास हुआ। इस्लाम धर्म के प्रवेश एवं अंग्रेजों के आगमन से ईसाई मिशनरियों भारत में आई, उन्होंने दलितों को डर, भय या प्रलोभन के आधार पर अपनी ओर आकर्षित किया। पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव से धीरे-धीरे इन वर्गों को शिक्षा प्राप्त हुई और दलितों को उनकी वास्तविक, सामाजिक स्थिति, दयनीय दशा एवं अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा हुई और इस अमानवीय कष्टदायक स्थिति में बाहर निकलने का मार्ग प्रशस्त हुआ। हिंदू धर्म में अनेक सुधारवादी आंदोलन चलाये गये। जिनमें ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसायटी आदि ने भी छुआछूत एवं ऊँच-नीच की भावना का घोर विरोध किया। औद्योगिकीकरण एवं संचार के साधनों के विकास के कारण शहरीकरण की प्रक्रिया तेज हुई तथा यातायात के साधनों के विकास से दलित रेल एवं बसों में यात्रा करने लगे, जिससे उनमें आत्मवेतना का संचार हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गाँधी ने हरिजनोद्धार को अपने स्वनात्मक कार्यक्रमों में शामिल किया तथा डॉ. अम्बेडकर ने दलितोद्धार के लिए अनेक कार्यक्रम एवं आंदोलन चलाये। जिनका प्रभाव दलित वर्ग पर पड़ा और दलितोद्धार आंदोलन के लिए अनेक संगठन बन गये।

दलित

हिंदू सामाजिक व्यवस्था में परम्परागत रूप से निम्न समझे जानी वाली जातियों के लिए 'दलित' शब्द का प्रयोग होता है। हिंदू धर्म में दलित को "शूद्र" नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में कार्यों के आधार पर चार वर्गों में बांटा है। सबसे निचला वर्ग, जो उपर्युक्त तीनों वर्गों की सेवा करता है "शूद्र" कहा जाता है और शूद्र में से भी निम्न स्तर का कार्य करने वाली कुछ जातियों को दलित कहा जाता था। शूद्र वर्ग ने हिंदू धर्म व्यवस्था में व्याप्त असमानता, अन्याय, अपमान और घृणा को सहन किया है।

दलित का शाब्दिक अर्थ

'दलित' शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत धातु 'दल' से हुई है, जिसका अर्थ है- तोड़ना, हिस्से करना, कुचलना। दलित अर्थात् दल-त-टूटा हुआ, पिसा हुआ, खुला हुआ, फैला हुआ आदि।

दलित शब्द का समानार्थी शब्द है - 'दबाया हुआ' अर्थात् जिसको दबाया गया, उठने ना दिया गया या जिसको कुचला गया हो।

भारत के संदर्भ में

तेरहवीं से सोलहवीं सदी, जिसे इतिहास में भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। इस काल में भारत में अनेक संतों का प्रादुर्भाव हुआ। कबीर, नानक, रैदास, धर्मदास, सेना, सधना, धन्ना, दादू आदि संतों का दलितोद्धार में सराहनीय योगदान रहा है। धार्मिक क्षेत्र में समानता का उपदेश देने और जाति-पाँति का विरोध करने में संत रामानंद का महत्वपूर्ण योगदान है। मध्ययुगीन संतों ने धार्मिक कट्टरता, शास्त्रबद्धता, पुरोहिताई, पाखण्ड एवं कर्मकाण्ड पर गहरा प्रहार किया और समाज में व्याप्त जड़ मान्यताओं पर प्रश्नचिह्न लगाये।

पुनर्जागरण आंदोलन

१९वीं शताब्दी भारत में नवजागरण का समय था, जिसके जनक राजाराम मोहन राय थे, उन्होंने 'ब्रह्म समाज' की स्थापना की। वे एक समाज सुधारक थे। जो हिंदू समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करना चाहते थे। उन्होंने सती प्रथा को समाप्त करवाया। इसके साथ ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, महादेव गोविन्द रानाडे, स्वामी दयानंद सरस्वती, डॉ. एनी बीसेंट, बाल गंगाधर तिलक और डॉ. भगवान दास इत्यादि ने समाज सुधार में उल्लेखनीय योगदान दिया।

दलित सुधार आंदोलन के प्रणेता महात्मा ज्योतिबा फूले थे। पेरियार ई. रामास्वामी, अछूतानंद, रामास्वामी नायकर, चांद गुरु, गुरु घासीराम डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा गाँधी, जगजीवन राम एवं काशीराम आदि ने दलितोद्धार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

समाज सुधारकों के साथ ही अनेक संस्थाओं ने भी दलितोद्धार के लिए प्रयास किये। इनमें महात्मा फूले द्वारा स्थापित सत्य शोधक समाज, गाँधी का हरिजन सेवक संघ, गोखले का भारत सेवा कमीशन समाज, सर्वेड्स ऑफ इंडियन सोसायटी, हिन्दू मेहतर संघ, अछूतोद्धार मंडल, भारतीय दलित सेवक संघ आदि की प्रमुख भूमिका रही है।

राजाराम मोहनराय ने धार्मिक जड़ता, अंधविश्वास और कर्मकाण्ड के विरुद्ध जन अभियान चलाया। सामाजिक जीवन में उन्होंने जाति-पाँति और छुआछूत का विरोध किया। दयानंद सरस्वती ने १८७७ में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज में मूर्तिपूजा-कर्मकाण्ड एवं पाखण्ड का निषेध कर वैदिक धर्म का पुनरुत्थान किया तथा हिंदू धर्म में ऊँच-नीच एवं छुआछूत का खुलकर विरोध किया। आर्य समाज ने दलितों को जनेऊ पहनने, मंत्रोच्चार करने एवं वेद पढ़ने की स्वतंत्रता प्रदान की, जिससे दलितों को हीन भावना से मुक्ति मिल सके। स्वामी विवेकानंद ने हिंदू समाज में व्याप्त अंधविश्वास एवं कर्मकाण्ड पर गहरा प्रहार किया।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दलितों के राजनीतिक महत्व को समझते हुए २६ दिसंबर, १९१७ के कलकत्ता अधिवेशन में अस्पृश्यता के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें दलितों पर थोपी गई निर्योग्यताओं के उन्मूलन का प्रयास किया गया।

छत्तीसगढ़ में दलितों ने सामाजिक सुधार हेतु जगजीवन दास द्वारा चलाया गया सतनामी सुधार आंदोलन, आंध्रप्रदेश में वीरब्रह्मा द्वारा वीरब्रह्मा आंदोलन, उत्तरप्रदेश में शिवनारायण आंदोलन ने दलितोद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जाति व्यवस्था के खिलाफ पंजाब में सन् १९२६ आदि धर्म आंदोलन चलाया गया। उत्तर प्रदेश में स्वामी अख्यानंद द्वारा दलितों के उत्थान हेतु आंदोलन चलाया गया। मैसूर में सामाजिक भेदभाव के विरोध में बोवकालिंग और लिंगायत संगठित हुए। इसी प्रकार देश के अन्य भागों में भी दलितों ने आंदोलन चलाये। २०वीं शताब्दी के द्वितीय दशक में पहली बार महात्मा गाँधी और भीमराव अम्बेडकर ने अलग-अलग दिशाओं में दलितों के उत्थान के लिए आंदोलन चलाये।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय संविधान का निर्माण स्वतंत्रता, समानता, बंधुता तथा न्याय को ध्यान में रखकर किया गया। १९६० का दशक दलित आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण था। ३ अक्टूबर, १९९६ को डॉ. अम्बेडकर ने दलितों के लिए "रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया" नामक राजनीतिक दल का गठन किया, जिसने दलितों की आर्थिक समस्याओं के लिए आवाज उठाई। स्वतंत्र भारत में जगजीवन राम और काशीराम ने दलित आंदोलनों को दलित राजनीति से जोड़कर दलितोद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया।

राजस्थान के संदर्भ में

ज्योतिबा फूले ने राजस्थान में राजस्थान प्रांतीय रैगर महासभा, राजस्थान मेघवंश महासभा, जाटव महासभा, राजपूताना मेहतर सुधार सभा, आदि गठित की, जिन्होंने दलितोद्धार हेतु प्रयास किये। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भी राज्य, जिला एवं क्षेत्रीय स्तर पर दलितोद्धार हेतु अनेक संगठनों का निर्माण हुआ।

राजस्थान पर तुर्कों और मुगलों के आक्रमण से सामाजिक एवं धार्मिक जीवन में कई परिस्थितियाँ पैदा हुईं और समय की आवश्यकताओं ने दलितोद्धार आंदोलन को जन्म दिया।

१९वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में राजाओं और सामंतों के रहन-सहन, खान-पान तथा पहनावे-ओढ़ावे में परिवर्तन आने लगा था। युद्धों का खतरा समाप्त हो गया था। राजाओं के राज्य और सामंतों की जागीर सुरक्षित हो गयी थी। राजकुमार और सामंत पुत्र पाश्चात्य जीवन शैली से प्रभावित थे। पश्चिमी शैली के अनुसार खान-पान, वेशभूषा, रहन-सहन अपनाया जाने लगा। पश्चिमी शैली से ही महल और हवेलियाँ बनवाई जाने लगीं। नयी जीवन पद्धति से आवश्यकताएँ बढ़ीं और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वे जनता का शोषण करने लगे, जिसकी सबसे ज्यादा मार दलितों पर पड़ी। उन्हें सभी प्रकार के अधिकारों से तो पहले से ही वंचित किया गया था, अब उनसे बेगार भी ली जाने लगी। इसी सदी में दलित वर्ग में कुछ संतों जैसे महर्षि नवल, बालीनाथ, आत्माराम लक्ष्य, गोकुलदास, परमानंद भारती, जोगाराम आदि का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने दलित वर्ग को एक नई दिशा प्रदान की।

अंग्रेजों ने राजस्थान में ब्रिटिश नियमों पर आधारित प्रशासनिक और न्यायिक संस्थाएँ स्थापित की, जिससे जातीय पंचायतों का महत्व घट गया। सभी प्रकार की जातीय सुविधाओं और पंचायतों को समाप्त करके एक समान विधिवत् शासन लागू किया गया। जिससे पुरातन सांस्कृतिक व्यवस्था टूटने लगी और नई व्यवस्था स्थापित होने लगी।

पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति का प्रभाव राजस्थान के दलितों पर भी पड़ा। राजस्थान के सामाजिक जीवन में हुआलूत जैसी कुप्रथा के विरुद्ध सामाजिक क्रांति उत्पन्न हुई। पश्चिमी लोग जाति-पाँति में विश्वास नहीं करते थे। वे केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व देते थे। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार तथा ब्रिटिश शासकों के सम्पर्क में आने से लोगों में सुधारवादी दृष्टिकोण का विकास हुआ। अंग्रेजों

ने जाति प्रथा पर कोई सीधा प्रहार नहीं किया। उनके सम्पर्क के परिणामस्वरूप यहाँ के लोगों के खान-पान, रहन-सहन तथा आदतों में बदलाव आया। पढ़े-लिखे लोग होटलों में जाने लगे, जहाँ दलित वर्ग के लोग भी होते थे। इससे अस्पृश्यता की भावना धीरे-धीरे समाप्त होने लगी।

यातायात तथा संचार के साधनों के विकास के परिणामस्वरूप भी जातिवाद की पकड़ धीरे-धीरे कमजोर पड़ने लगी। रेल, बस आदि में साथ-साथ यात्रा करने लगे। होटल, रेस्टोरेंट, अस्पताल, जेल, कोर्ट, सिनेमाघर, स्कूलों और कॉलेजों में समानता का व्यवहार किया जाने लगा।

राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान गाँधी तथा अम्बेडकर के प्रभाव स्वरूप दलितों में सामाजिक, राजनीतिक चेतना आई और राजस्थान में भी अनेक जातीय संगठनों का गठन किया गया। जिनकी दलितोद्धार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही।

संदर्भ

१. एम. एस. राव - 'भारत के सामाजिक आंदोलन'
२. बी. टी. रणदिवे - 'जाति क्यों नहीं जाती ?'
३. पुरुषोत्तम - 'अस्पृश्यता एवं दलित चेतना'
४. चौधरी, शिवराम - राजस्थान में दलित चेतना का उदय एवं विकास,
५. डॉ. बी. आर. अम्बेडकर, 'अछूत कौन और कैसे?'
६. कंचन भारती - 'दलित विमर्श की भूमिका', इतिहास बोध प्रकाशन, इलाहाबाद,

